क्रम संख्या–141 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 31 जुलाई, 2015 ई0
श्रावण 09, 1937 शक सम्वत्

### उत्तराखण्ड शासन
### औद्योगिक विकास विभाग

संख्या 844/VII-1/2015/68–ख/2015
देहरादून, 31 जुलाई, 2015

### कार्यालय ज्ञाप

प0 आ0–104

मुख्य खनिजों के दोहन के लिए भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्धान्त को समाप्त करते हुए मुख्य खनिजों का आवंटन निविदा प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों से किये जाने की व्यवस्था है।

उक्त अधिनियम के अनुसार मुख्य खनिजों के आवीक्षा परमिट (reconnaissance permit), प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस एवं खनन पट्टा जो कि भाग–क और भाग–ख की प्रथम अनुसूची में अधिसूचित है, को भारत सरकार की पूर्वानुमति के उपरान्त ही स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त समस्त खनन पट्टे की अवधि 50 वर्ष होगी। समस्त खनन पट्टे जो उक्त अधिनियम के निर्गत होने से पूर्व स्वीकृत किये गये थे, वे सभी निष्पादन के दिनांक से 50 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत समझे जायेंगे। उक्त अवधि के पश्चात् उक्त क्षेत्र में उपलब्ध खनिज निक्षेप की कार्यवाही नीलामी के माध्यम से आवंटित की जायेगी।

अधिनियम कीं चतुर्थ अनुसूची में इंगित खनिज चूना पत्थर (Lime stone) राज्य में पाया जाता है। अतः उपरोक्त मुख्य खनिजों को खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने से पूर्व भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

विद्यमान खनन पट्टा धारकों एवं आवेदकों के अधिकार (Right of existing concession holders and applicants) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 12 जनवरी, 2015 से पूर्व प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे। उक्त अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने उपरान्त निम्नलिखित आवेदन पत्र पात्रता की श्रेणी में सम्मिलित हो सकेंगे :–

**(क)** उक्त अधिनियम की धारा 11क के अधीन प्राप्त आवेदन।

**(ख)** उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति यदि पूर्वेक्षण लाईसेंसधारी से राज्य सरकार संतुष्ट होने पर स्वीकृत किसी खनिज का आवीक्षा परमिट (reconnaissance permit) एवं प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस। (prospecting licence)

**(ग)** ऐसे आवेदन पत्र, जिनके द्वारा पी0एल0 और आर0पी0 की समयावधि समाप्ति के तीन माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है या राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 06 माह के विलम्ब का मर्षण कर दिया गया हो।

**(घ)** ऐसे आवेदन जिनका दिनांक 12.01.2015 से पूर्व पी0एल0/आर0पी0 स्वीकृत कर दिये गये हैं। (एम0सी0आर0 1960 के अनुसार जिसने लीज डीड की कार्यवाही कर ली हो)।

**(ड.)** ऐसे आवेदक, जिनको पूर्व में प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस जारी हुआ है और माइनिंग लीज के लिए आवेदन कर दिया है।

समस्त आवीक्षा लाईसेंस (R.P.), प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस Cum खनन पट्टा एवं खनन पट्टा के आवेदन पत्र भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के भूविज्ञान शाखा द्वारा खनिजीकरण की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण कर विज्ञप्तीकरण कर टेण्डर (नीलामी) के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे।

खनिज लाईमस्टोन का प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस Cum खनन पट्टा एवं खनन पट्टा के आवेदन पत्र भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के भूविज्ञान शाखा द्वारा खनिजीकरण की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण कर भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त विज्ञप्तिकरण कर टेण्डर (नीलामी) के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे।

**वर्तमान में खान मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना सं0 का.आ. 423(अ) दिनांक 10 फरवरी 2015 द्वारा 31 खनिज, जो कि मुख्य खनिज की श्रेणी के अर्न्तगत थे, को गौण/उपखनिज की श्रेणी में घोषित कर दिया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है : –**

(एक) अगेट (Agate)
(दो) वॉल क्ले (Ball Clay)
(तीन) बैराइटस (Barytes)
(चार) कैल्केरियस सैण्ड (Calcareous Sand)
(पांच) कैल्साइट (Calcite)
(छः) चॉक (Chalk)

(सात) चिनी मिट्टी (China Clay)
(आठ) अन्य क्ले (Clay others)
(नौ) कोरण्डम (Corundum)
(दस) डायस्पोर (Diaspore)
(ग्यारह) डोलोमाइट (Dolomite)
(बारह) ड्रानाइट अथवा पायरोसेनाइट (Dunite or pyroxenite)
(तेरह) फेलसाइट (Felsite)
(चौदह) फेल्सपार (Felspar)
(पंद्रह) अग्निसह मृत्तिका (Fuschite Quartzite)
(सोलह) फुस्काईट क्वार्टजाइट (Fuschite Quartzite)
(सत्तरह) जिप्सम (Gypsum)
(अठारह)) जस्पर (Jasper)
(उन्नीस) कयोलिन (Knolin)
(बीस) लेटेराइट (Laterite)
(इक्कीस) चूना कंकड (Lime Kankar)
(बाइस) अभ्रक (Mica)
(तेइस) ऑकर (Ochre)
(चौबीस) पाइरोफाइलाइट (Pyrophyllite)
(पचीस) क्वार्टज (Quartz)
(छब्बीस) क्वार्टजाइट (Quartzite)
(सताइस)बालू अन्य (Sand others)
(अठाइस) शेल (Shale)
(उनतीस) सिलिका बालू (Silica Sand)
(तीस) स्लेट और (Slate and)
(इकतीस) स्टोटाइट अथवा टैल्क अथवा सोपस्टोन। (Steatite or Talc or Soapstone)

उपरोक्त घोषित उपखनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, बैराईट, सिलिका सैण्ड उत्तराखण्ड राज्य में पाया जाता है, जिसके खनन पट्टे वर्तमान में राज्य में संचालित है। उक्त अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित खनिज सोपस्टोन के अतिरिक्त 30 अन्य खनिजों को गौण खनिज (उपखनिज) घोषित किये जाने के कारण उक्त खनिजों के प्रॉस्पेक्टिंग लाईसेंस/खनन पट्टा आवंटन एवं खनिजों के विदोहन हेतु राज्यपाल निम्नवत नीति प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ——

## उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति– 2015

**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** 1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम गौण खनिज नीति, 2015 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**परिभाषाएं** 2. जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो——
(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो कमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है;

(च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है;

(छ) "शब्द और पद' जो परिभाषित नही है परन्तु सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये है।

पूर्व से चल रहे खनिजों के खनन पट्टों की अवस्थिति

3. पूर्व से चल रहे खनिजों के खनन पट्टे अधिसूचना संख्या 423(अ) दिनांक 10–02–2015 के द्वारा घोषित उपखनिज के वर्तमान में खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, बैराईट, सिलिका सैण्ड के चल रहे खनन पट्टे खनिज परिहार नियमावली, 1960 के अधीन स्वीकृत है, उनके लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जानी होगी :–

(एक) **अवधि (पूर्व से चल रहे पट्टे हेतु) :–**

(1) 02 हैक्टेयर से 05 हैक्टेयर तक खनन पट्टा धारक के अनुरोध पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर 25 वर्ष तक की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(2) 05 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में खनन पट्टा धारक के अनुरोध पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर 50 वर्ष तक की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(दो) **खनन योजना का अनुमोदन :–**

(1) खनन योजना का अनुमोदन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के द्वारा किया जायेगा।

(2) अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग की अवधि समाप्त होने से 03 माह पूर्व तक स्कीम आफ माइनिंग निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत करनी होगी।

(3) खनन योजना स्कीम ऑफ माईनिंग का अनुमोदन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा किया जायेगा। जिन खनन योजना का स्कीम आफ माइनिंग को पुनः अनुमोदन किया जाना है वह पट्टा धारक पुनः स्कीम अनुमोदन कराये जाने हेतु आवेदन करेंगे।

(4) यदि अनुमोदित अवधि व्यतीत हो गई हो तो उन खानों को तत्काल बन्द कर दिया जाये। खान अधिकारी/उपनिदेशक खनन यह सुनिश्चित करेंगे की कोई भी खनन योजना बिना अनुमोदन के संचालित न हो।

(5) पट्टाधारक द्वारा खनन योजना सम्बन्धित खान अधिकारी/उपनिदेशक (खनन) के समक्ष रू0 20,000/–की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराने के उपरान्त चालान की प्रति के साथ प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित खान अधिकारी अपनी आख्या के साथ खनन योजना स्कीम आफ माईनिग/क्लोजर प्लान निदेशालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे। प्रकिया में हुए विलम्ब हेतु खनन कार्य बन्दी नही होगा, जो खनन योजना (स्कीम आफ माईनिंग) प्रस्तुत नहीं की जायेगी उनके रवन्ने तत्काल प्रभाव से रोक दिये जायेंगे। आर0क्यू0पी0 जो कि आई0बी0एम0 द्वारा अधिकृत किये गये हैं, निदेशक से पुनः पंजीकरण प्राप्त होने तक मान्य रहेंगे। इस नीति के लागू होने के उपरान्त सभी आर0क्यू0पी0 को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म में रू० 10,000/– की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा कराकर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण की अवधि 05 वर्ष के लिए मान्य होगी।

**(तीन) बन्दी के उपरान्त पुनः खोला जानाः–** जिन खनन पट्टों को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा नोटिस देकर बन्द कराया गया था उन खनन पट्टों को पुनः खोले जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, निदेशक को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए निदेशक द्वारा अनुश्रवण कर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

**(चार) खान सुरक्षा महानिदेशालय की अनुमतिः** जो खनन पट्टे खान सुरक्षा महानिदेशालय के अर्न्तगत आते है वे पूर्व की भॉति समस्त कार्यवाही खान सुरक्षा महानिदेशालय से करते रहे।

**(पांच) खनन पट्टा क्षेत्र का अपरिहार्य भाटक** : उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 की द्वितीय अनुसूची में मुख्य खनिज से उपखनिज में घोषित खनिजों हेतु अपरिहार्य भाटक निर्धारित किया जायेगा, जो कि वर्षा ऋतु को छोड़कर (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) आगामी माह की 20 तारीख को अग्रिम किस्त के रूप में जिला कोषागार में जमा की जानी होगी।

**(छः) रायल्टी/स्वामित्व की दर** : उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की प्रथम अनुसूची में मुख्य खनिज से घोषित हुए खनिजों पर रायल्टी/स्वामित्व की दर निर्धारित की जायेगी, जिसकी दर प्रति टन निकासी के आधार पर होगी। अग्रिम अपरिहार्य भाटक की मासिक किस्त का समायोजन निकासी खनिज की रायल्टी के अनुसार होगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि रायल्टी या डेडरेन्ट अपरिहार्य भाटक में जो अधिक होगा देय होगा। जब तक राज्य सरकार द्वारा रायल्टी का निर्धारण नहीं किया जाता है तब तक पूर्व की दर पर रायल्टी वसूल की जायेगी। अन्तर आगामी माह की 20 तारीख तक जमा करेंगे। उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में घोषित रायल्टी की दर लागू होने से पूर्व की गयी भुगतान की गई रायल्टी की दरें आई0बी0एम0 द्वारा अन्तिम घोषित दरें लागू होंगी।

**(सात) खनन पट्टा विलेख हेतु स्टाम्प डयूटी** : खनन पट्टा विलेख उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित मुख्य खनिज से उपखनिज में घोषित हेतु प्रति वर्ष निर्धारित अपरिहार्य भाटक की दर से खनन पट्टे की अवशेष अवधि की 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प डयूटी पर खनन पट्टा विलेख किया जायेगा

**(आठ) प्रतिभूति धनराशिः** अपरिहार्य भाटक का 25 प्रतिशत अग्रिम में निदेशक के पक्ष में बन्धक करना होगा। पूर्व पट्टाधारकों को इससे छूट दी जायेगी।

**(नौ) निजी भूमि धारक को प्रतिपूर्ति** :– खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत मासिक निकासी की रायल्टी के बराबर समस्त भूस्वामियों के खनन पट्टे की भूमि की भागीदारी के अनुसार एवं निकासी वाले खेत को निकासी के दौरान उक्त के अतिरिक्त खेत से की गई निकासी के बराबर प्रतिकर दिया जायेगा। भूस्वामी की भूमि समतल कर खेत बनाकर दिये जाने की शर्त के साथ दिया जायेगा। इस हेतु जिलाधिकारी प्रतिपूर्ति निर्धारक अधिकारी होंगे। खनन पट्टा धारक निजी भूमि धारक से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु सहमति पत्र भूस्वामी एवं पट्टाधारक के मध्य विधिक अनुबन्ध होना अनिवार्य होगा।

**(दस) बन्द पड़े खनन पट्टों का खनन पट्टा विलेख एवं पुनः चालू किया जाना :–** ऐसे खनन पट्टे जो किसी भी कारण से बन्द पडे हो ऐसे खनन पट्टों को बन्दी अवधि का वर्तमान में उपखनिज के अपरिहार्य भाटक की दर से 30 अक्टूबर, 2015 तक डेड रेन्ट जमा कर एक बार स्टैलमेण्ट के अर्न्तगत पट्टा विलेख कराकर खनन पट्टा बहाल करा सकते हैं।

**(ग्यारह) बैंक गारन्टी:–** पूर्व से संचालित खनन पट्टाधारको को निदेशक के पक्ष में बैंक गारंटी रू0 2.00 लाख (रू दो लाख) 5.00 है० क्षेत्रफल तक तथा 5.00 है० से अधिक क्षेत्रफल हेतु रू० 5.00 लाख (रू पांच लाख) खनन योजना, खनन स्कीम एवं उत्तरोत्तर खान बन्दी योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जानी होगी।

**खनन पट्टा हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरण** 4. **(क) मृत्यु के उपरान्त :** खनन पट्टा धारक की मृत्यु के उपरान्त खनन पट्टा धारक के विधिक वारिस के पक्ष में खनन पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर होगा। उक्त खनन पट्टे की अवधि अवशेष खनन पट्टे हेतु होगी।

**(ख) निजी भूमि के हस्तान्तरण :** निजी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टे या भागीदार जोड़ने या हटाने पर समस्त भू–स्वामियों की सहमति, जिसको राजस्व विभाग द्वारा समस्त भू–सवामियों से सत्यापन कर प्रस्तुत किये जाने पर नियमावली के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को खनन पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर होगा। हस्तान्तरण होने वाले लेन देन स्पष्ट होगा। रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा।

**(ग) निजी भूमि से भिन्न भूमि पर हस्तान्तरणः** नियमावली के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर हस्तान्तरण होगा। हस्तान्तरण होने वाले लेन–देन को स्पष्ट होगा। रू0 2,00,000/–(रू0 दो लाख) हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा।

**न्यूनतम क्षेत्रफल और आकार** 5. **(क) न्यूनतम क्षेत्रफल** – निजी नाप भूमि में खनन पट्टे हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 है0 एवं निजी भूमि से भिन्न (अर्थात् राजस्व भूमि आदि) न्यूनतम क्षेत्रफल 5.00 है० में एक खण्ड में होना आवश्यक होगा। ऐसी भूमि जो राजस्व अभिलेखों में रास्ता, गूल जैसे सार्वजनिक उपयोग हेतु दर्ज हो को ही केवल निजि भूमि के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा। यदि निजी भूमि क्षेत्रान्तर्गत राजस्व भूमि खण्डों में आती है जिसका

क्षेत्रफल आवेदित क्षेत्रफल के अधिकतम 25 प्रतिशत तक हो, को सम्मिलित करते हुये खनन पट्टा देने पर विचार किया जा सकेगा। राज्य सरकार उक्त क्षेत्रफल की न्यूनतम सीमा को किसी विशेष परिस्थिति में निदेशक की संस्तुति पर 50 प्रतिशत तक शिथिल करने पर विचार कर निर्णय ले सकती है।

**(ख) आकार–** स्वीकृत क्षेत्र का ज्यामितीय आकार यथा त्रिभुजाकार या आयताकार आदि इस प्रकार हो कि सीमा स्तम्भ कम से कम हो।

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित उपखनिजों हेतु आवेदन पत्र/आवंटन

6. **खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित उपखनिजों हेतु आवेदन पत्र/आवंटन :**

**(एक) आवेदन शुल्क:–** 02 हैक्टेयर तक रू 2.00 लाख
02 हैक्टेयर से अधिक 05 हैक्टेयर तक रू 4.00 लाख
05 हैक्टेयर से अधिक रू 5.00 लाख

**(दो) अवधि :–** 02 हैक्टेयर से 05 हैक्टेयर तक 25 वर्ष
05 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में खनन पट्टा धारक के अनुरोध पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर 50 वर्ष की अवधि तक।

**(तीन) आशय पत्र एवं खनन पट्टा आवंटन :–** निजी नाप भूमि एवं राजस्व भूमि में प्रथम आवत प्रथम पावत सिद्धान्त को समाप्त करते हुए निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

**(क)** निजी नाप भूमि में भू–स्वामी या भू–स्वामी द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति के आधर पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टे हेतु आशय पत्र निर्गत किया जायेगा। आशय पत्र की शर्तों को पूर्ण कराने के पश्चात् शासन द्वारा खनन पट्टा आवंटित किया जायेगा।

**(ख)** निजी नाप भूमि से भिन्न भूमि में टेण्डर/लाटरी, जैसा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा निर्धारित किया जाये, खनन पट्टे शासन द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

**(चार) पात्रता :–**

**(क)** खान एवं खनिन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के संशोधन दिनांक 12.1.2015 एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० का०आ० 423(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित गौण खनिज हेतु पूर्व से स्वीकृत समस्त प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स धारकों, प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स हेतु जारी शासनादेश, प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स हेतु जारी आशय

पत्र एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स हेतु भेजी गई संस्तुति वाले आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त निदेशक की संस्तुति पर खनन पट्टे हेतु ग्राह्य होंगे।

(ख) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के सशोधन दिनाक 12.1.2015 एव खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० का०आ० 423(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित गौण खनिज हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त निदेशक की संस्तुति पर खनन पट्टा का आशय पत्र जारी किया जायेगा।

(ग) निजी भूमि से भिन्न भूमि हेतु पात्रता पृथक से क्षेत्र की विज्ञप्ति के समय प्रकाशित की जायेगी।

**पर्यावरण अनुमति** 7. समस्त खनन पट्टों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 2601 (अ) दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या 1621/VII-I/212–ख/2014 दिनाांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

**खनिज अन्वेषण** 8. विभाग द्वारा औद्योगिक खनिजों (चूना पत्थर, सोपस्टोन, बेराईट, सिलिका सैण्ड आदि) का विकास एवं खनिज अन्वेषण का कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा। चिन्हिकृत क्षेत्रों के टेण्डर आदि की प्रकिया विभाग के खनन शाखा द्वारा की जायेगी।

**रायल्टी/अपरिहार्य भाटक (Dead rent)** 9. राज्य में पाये जाने वाले सोप स्टोन की रायल्टी, जो कि उच्च श्रेणी (Cosmetic grade) का पाया जाता है, उच्च श्रेणी व प्रथम श्रेणी को मिश्रित कर सोप स्टोन की विभिन्न श्रेणियाँ बाजार में विक्रित की जाती हैं। राज्य में सोप स्टोन का विक्रय मूल्य ₹ 5,000 प्रति टन से लेकर ₹ 10,000 प्रति टन है, इसलिए बाजार एवं चोरी की संभावना को न्यून करने के दृष्टिगत रखते हुए सोप स्टोन की रायल्टी उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम–21 रायल्टी की प्रथम अनुसूची एवं नियम–22 अपरिहार्य भाटक की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित संशोधित दरों के अनुसार लागू होगी।

**टिन नम्बर** 10. समस्त खनन पट्टा धारकों को खनन पट्टे का टिन नं0 देना अनिवार्य होगा।